संख्या-4/349/38-3-2016-44(अधि0)/2015

प्रेषक,

रंजन कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक- 18 मार्च, 2016

विषय- आयुक्त, ग्राम्य विकास मुख्यालय पर दैनिक वेतनभोगी वाहन चालकों को विनियमित किये जाने हेतु पद सृजन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-12/स्था0-3/2016, दिनांक 08-01-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-44/2015/वे0आ0-2-795/दस-54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 13 अगस्त, 2015 की परिधि में आने वाले 03 दैनिक वेतनभोगी वाहन चालाकों को विनियिमत किये जाने हेतु ड्राइवर ग्रेड-4 वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 1900 के 03 अधिसंख्य पद सृजित किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- इन पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो उक्त पद हेतु अनुमन्य हैं, देय होंगे।

3- उपर्युक्त सृजित किये जा रहे अधिसंख्य 03 पद, मूल संवर्ग में जैसे-जैसे पर रिक्त होते जायेंगे वैसे-वैसे इन पदों के कार्मिक मूल संवर्ग में समायोजित हो जायेंगे तथा अधिसंख्य पद स्वत: समाप्त हो जायेंगे।

4- उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम- आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त (मुख्यालय) के अन्तर्गत सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

5- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-258(ए)/दस-2016, दिनांक 16 मार्च 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंजन कुमार)
सचिव।

संख्या-4/349(1)/38-3-2016,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in